

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August, 2021

No. 33/2021 – Central Tax

G.S.R. 599(E).— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 76/2018– Central Tax, dated the 31st December, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1253(E), dated the 31st December, 2018, namely:—

In the said notification, in the ninth and tenth provisos, for the figures, letters and words “31st day of August, 2021”, where ever they occur, the figures, letters and words “30th day of November, 2021” shall be substituted.

[F. No. CBIC-20006/24/2021-GST]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification No. 76/2018-Central Tax, dated 31st December, 2018 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1253(E), dated the 31st December, 2018 and was last amended *vide* notification number 19/2021 – Central Tax, dated the 1st June, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 363(E), dated the 1st June, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2021

सं. 34/2021-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 600(अ).—भारत सरकार की वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 35/2020-केन्द्रीय कर तारीख 3 अप्रैल, 2020 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 235(अ) तारीख 3 अप्रैल, 2020 और सं.14/2021-केन्द्रीय कर तारीख 1 मई, 2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 310(अ) तारीख 1 मई, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी, को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, यह अधिसूचित करती है कि जहां उक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर दिया गया है और उक्त अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्द करने का प्रतिसंहरण करने के लिए आवेदन करने की समयसीमा 1 मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2021 की समयवधि के दौरान आती है, तो ऐसा आवेदन करने की समयसीमा का 30 सितंबर, 2021 तक विस्तार किया जाएगा।

[फा. सं. सीबीआईसी -20006/24/2021-जीएसटी]

राजीव रंजन, अवर सचिव